

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं0 2018
 दूक्री श्री Mansoor Ahmad Khan 10923

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 2009 से ता0 21/11/2018
 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता धला

चला है अतः

21/11/2018

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	manzra - Salempur Jinnah P2 10 खमरिन 15/93 खमरिन 180, 184, 142, 242, 162, 201 Plot No 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68. खमरिन 4 Area 49 serial.							

For Bhawani Iniracon Pvt. Ltd.



Director

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): M. Hussain
u.Dc.

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): 29/12/18
LDC

(पदनाम):

कार्यालय: pats.

तारीख:



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (प्रान्जेशनस) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्य) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(ग) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए किमाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, _____

ज्ञाप संख्या 10692

दिनांक 29-12-18

आवेदक श्री Mansoor Ahmed Khan

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा, Manager LIC H F Phase Road
pats.

का उनके पत्र संख्या 18/12/18 दिनांक 18/12/18 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

29-12

29-12-18

Shri. Mansoor Ahmed Khan Pvt. Ltd.

Singh

Director